अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2015–16 तक विभिन्न विभागों में सहायता–अनुदान स्वीकृति के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	27593	20,630.58
2014-15	02	401.49
2015-16	17	327.21*
योग	**27612**	**21,359.28**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

** 31 मार्च 2016 तक दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2016 को या इससे पूर्व देय थे सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों।*

जैसा कि उपर्युक्त में देखा गया कि 31 मार्च 2016 को 41 मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के 27612 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। वृहद् रूप से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण मुख्य रुप से मुख्य शीर्ष 3604–स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा एवं समनुदेशन (₹ 8,711 करोड़), 2408–खाद्य भंडारण एवं भांडागार (₹ 4,796 करोड़), 2202–सामान्य शिक्षा (₹ 1,928 करोड़), 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (₹ 1,022 करोड़) एवं 2801–विद्युत (₹ 975 करोड़) से संबंधित था।

3.2 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/ अप्रस्तुति में विलंब[1] (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत सौंपा	2013–14	2012–13	2011–12 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए) वर्ष 2012–13 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (24) 2014–15 (15) 2015–16 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2014–15	2013–14	2013–14 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए)	2013–14 (03) 2014–15 (08)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2011–12	2011–12	वर्ष 2003–04 से 2011–12 तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (सितम्बर 2016) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011–12 (23) 2012–13 (39) 2013–14 (27) 2014–15 (15) 2015–16 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1997–98 से 2012–13	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, से वर्ष 1997–98 से 2012–13 के लेखे अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे जबकि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखे स्थापना से ही प्राप्त नहीं हुए थे।	–	1997–98 (205)से 2012–13 (25) 2013–14 (27) 2014–15 (15)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा सौंपा	2015–16	2014–15	2014–15 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2016 को रखे गए)	2012–13 (16) 2013–14 (09) 2014–15 (04)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2015–16	2014–15	2014–15 (पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2015 को रखे गए)	-

[1] *विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2016 तक ली गई है।*

जैसा कि **तालिका 3.2** में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 205 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था। तथापि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखे अभी भी प्रतीक्षित थे।

राज्य विधानमंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया जाता है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी होती है, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब होता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3099 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 37.19 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 4.04 करोड़ (270 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 15.52 करोड़ (2501 प्रकरण) एवं ₹ 8.30 करोड़ (11 प्रकरण) के वृहद मात्रा में प्रकरण क्रमशः मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी तथा मुख्य शीर्ष 2054–कोषालय एवं लेखा प्रशासन के वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। 2015–16 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार विवरण तथा उनका अवधिवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की अवधिनुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को **तालिका 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधिनुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
विस्तार वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि
0 – 5	672	14.04	चोरी	173	6.47
5 – 10	322	12.23			
10 – 15	321	2.69	दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	2926	30.72
15 – 20	389	4.03			
20 – 25	544	2.16			
25 और उससे अधिक	851	2.04			
योग	**3099**	**37.19**	**योग**	**3099**	**37.19**

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

(₹ करोड़ में)

विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	12	0.37
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	15	0.75
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	04	0.17
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	2991	26.86
(v)	न्यायालयों में लंबित	77	9.04
योग		**3099**	**37.19**

इस प्रकार, ₹ 37.19 करोड़ के 3099 प्रकरणों में से ₹ 10.92 करोड़ के 2105 प्रकरण (68 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतिक्षित थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 के दौरान राशि ₹ 63.21 लाख के हानि के 127 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया है। 2015–16 के दौरान 388 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹ 53.07 लाख की वसूली की जाकर शासकीय खाते में जमा करा दी गई थी। विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

नागरिक विमानन विभाग के भंडार में कमी के कारण हानि

विमानन विभाग की अधिसूचना (जनवरी 2000) की कंडिका 6(3) के अनुसार पुर्जों के क्रय, स्टॉक इत्यादि की खरीद का भौतिक सत्यापन वर्ष में दो बार किया जाएगा एवं सत्यापन दल में कोष एवं लेखा सेवा संचालनालय में पदस्थ अधिकारी नामांकित होंगे। आगे, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 135 (ii) (ब) के अनुसार कम पाई गई वस्तु स्टॉक लेखा में निरंतर बनी रहेगी जब तक कि हानि का समायोजन या तो वसूली द्वारा या अपलेखन स्वीकृत न हो जाए।

संचालनालय, नागरिक विमानन, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2016) के दौरान यह देखा गया कि, फरवरी 2015 में इसकी तकनीकी शाखा के भौतिक सत्यापन के दौरान राशि ₹ 1.22 करोड़ के 15 आयटम्स की कमी पाई गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है। आगे, जाँच में प्रकट हुआ कि गुम हुए उपकरण एयरक्राफ्ट/हेलिकॉप्टर के पुर्जे थे। इस कमी में स्थानीय बाजार से अधिप्राप्त किए गए ₹ 9.64 लाख के उपकरण भी सम्मिलित थे, यद्यपि स्थानीय बाजार से ऐसी अधिप्राप्ति वर्जित थी। तथापि, जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं वसूली या अपलेखन द्वारा भंडार का समायोजन करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालनालय ने उत्तर (जून 2016) दिया कि, सघन जांच के पश्चात जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग ने एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

3.4 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। तथापि, वित्त विभाग के अनुदेश (जुलाई 2011) द्वारा सभी विभागों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2016 के अन्त तक ₹ 7.59 करोड़ के 19 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य शिष्टाचार अधिकारी, भोपाल द्वारा आहरित किए गए थे। इन आहरणों के प्रकरण न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित था। प्रकरण माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 13.03.2012 को बंद कर दिया गया था, तथापि ये संक्षिप्त आकस्मिक देयक समायोजन हेतु प्रतिक्षित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि
2004-05	11	4.60
2005-06	05	2.74
2006-07	03	0.25
योग	**19**	**7.59**

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

3.5 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमने देखा कि 2015–16 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,19,766 करोड़ (लोक ऋण की अदायगियों को छोड़कर) के विरूद्ध दिनांक 31 मार्च 2016 तक सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 64,790 करोड़ (54.10 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा "लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियॉ ₹ 1,05,701 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,118 करोड़ (1.06 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों के मिलान में असफल होने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2015–16 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

3.6 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 (4) के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं समायोजन में किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के निर्देश (अक्टूबर 2001), के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक 12 विभागों[2] में कुल ₹ 8.39 करोड़ के 2552 प्रकरण, अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। हमने देखा कि, सामान्य प्रशासन विभाग (₹ 5.65 करोड़) तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास (₹ 1.62 करोड़) से संबंधित अस्थाई अग्रिम (एक करोड़ से अधिक) वृहद् संख्या में लंबित थे। जो समायोजन के लिए लंबित थे।

विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: मार्च 2016 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	647	0.47
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	380	0.27
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	488	6.03
4	एक वर्ष तक	1037	1.62
योग		**2552**	**8.39**

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

[2] *(1) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगारः ₹ 1.18 लाख, (2) शिक्षाः ₹ 7.24 लाख, (3) किसान कल्याण तथा कृषि विकासः ₹ 161.65 लाख, (4) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकासः ₹ 1.53 लाख, (5) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन): ₹ 564.79 लाख, (6) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करणः ₹ 78.48 लाख, (7) गृह (लोक अभियोजन): ₹ 0.20 लाख, (8) जेलः ₹ 1.44 लाख, (9) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरणः ₹ 3.35 लाख, (10) पंचायत एवं ग्रामीण विकासः ₹ 3.20 लाख, (11) आदिम जाति कल्याणः ₹ 0.04 लाख, (12) जल संसाधन विभागः ₹ 15.64 लाख*

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 25 प्रतिशत प्रकरण (संख्या 647) दस वर्ष से अधिक पुराने थे एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है।

अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.7 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्र व राज्य के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2015–16 की जांच में पाया गया कि ₹ 17,699.83 करोड़ का व्यय जो राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 1,16,606.17 करोड़ का 15.15 प्रतिशत था, को लघुशीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि लेखों के 37 मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत, राशि ₹ 16,148.78 करोड़ के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) जो इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत को कुल व्यय ₹ 29,942.10 करोड़ का 53.93 प्रतिशत था, को लेखों के लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय के 11 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में विस्तृत किया गया है।

इसी तरह ₹ 11,890.88 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,510.60 करोड़) का 11.27 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गईं थी, लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं थी। लेखों के 30 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, राशि ₹ 11,747.50 करोड़ के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) जो इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 19,477.79 करोड़) के 60.31 प्रतिशत थे, को लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इन प्रकरणों में लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज लेन देन संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों के 10 से 100 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' एवं '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गई वृहद् राशियां वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती है।

3.8 पूर्व वर्षों के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्षों के बजट से किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के अनुसार वास्तविक रुप से किए गए समस्त भारों का अविलंब आहरण तथा भुगतान किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, व्यय को नए बजट की स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक (रेडियो), भोपाल (जुलाई 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2015–16 में सिंहस्थ 2016 के लिए सात फर्मों से राशि ₹ 36.94 करोड़ कीमत के सीसीटीवी एवं डिजीटल रेडियो ट्रेकिंग सिस्टम (टर्नकी आधार पर), डाटा सिमें तथा अन्य उपकरण खरीदे। तथापि, बजट की उपलब्धता के बावजूद वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान संबंधित फर्मों को शेष राशि ₹ 28.29 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया **(परिशिष्ट 3.9)**। इस प्रकार एक वर्ष में किए गए व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ दिया गया था जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 का उल्लंघन था।

विभाग ने उत्तर दिया कि बजट आवंटन की अनुपलब्धता के कारण लंबित देयक पास नहीं किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सिंहस्थ 2016 के लिए ₹ 36.32 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 9.99 करोड़ का व्यय किया गया था एवं विभाग के पास ₹ 26.33 करोड़ शेष था।

प्रकरण सरकार (अगस्त 2016) को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त (नवम्बर 2016) नहीं हुआ था। तथापि निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

3.9 बैंक खातों का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक खाते से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2009) के अनुसार शासकीय कार्यालय द्वारा जिनमें विभिन्न योजनाओं के लिए कोषालय से निधियों का आहरण किया गया एवं बैंक खाते, जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए थे, में जमा कर दिया गया था, इन बैंक खातों से धन को तत्काल निकाला जाए एवं शासकीय खातों में जमा किया जाए।

जहां शासकीय धन को बैंक खातों में रखा जा रहा था, कि जांच करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के विभागीय प्राधिकारियों से बैंक खातों में जमा निधियों की जानकारी मांगी गयी थी। 35 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन विभागों के विभागीय अधिकारियों द्वारा बैंक खातों में जमा के कोई प्रकरण नहीं थे। 12 विभागों से जानकारी प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2016)।

छः विभागों[3] के प्रकरणों में, ₹ 28.25 करोड़ समेकित निधि से आहरित किए गए थे जो कि 31 मार्च 2016 को 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचालित किए जा रहे 51 बैंक खातों में जमा कराए गए थे। वित्त विभाग के निर्देशानुसार इन खातों में रखी गई राशि को आहरित कर शासकीय खातों में जमा किया जाना चाहिए था लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इन 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में शेषों का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

कार्यालय उप संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, सतना[4] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जून 2016) में प्रकट हुआ कि उप संचालक, ने अप्रैल 2012 से जनवरी

---

[3] *(1) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, (2) उच्च शिक्षा, (3) वित्त विभाग, (4) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, (5) गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, (6) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण*

[4] *परिशिष्ट 3.10 में उल्लेखित 40 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में शामिल*

2014 के दौरान आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान के लिए कोषालय से ₹ 21.75 लाख[5] का आहरण किया एवं इस राशि को अपने बैंक खाते में जमा कर दिया था तथापि यह राशि अप्रयुक्त रही।

इस ओर इंगित किए जाने पर, उप संचालक ने उत्तर (जून 2016) दिया कि चूंकि हितग्राही किसानों का चयन पूर्व में नहीं किया गया था एवं बजट व्यपगत हो रहा था। अतः उक्त राशि कोषालय से आहरित कर बैंक खाते में जमा की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बैंक में जमा करने हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त बिना तत्काल आवश्यकता के निधियों का आहरण तथा निधियों को बैंक में जमा करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था।

उक्त प्रकरण सरकार (मई 2016) को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2016) था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में सभी विभागों को पूर्व में निर्देश जारी कर दिए गए थे। तथापि विशिष्ट प्रकरणों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3.10 निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में केवल छह निकायों[6] से जानकारी प्राप्त हुई थी। सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता पर पूर्ण जानकारी के अभाव में विधानमंडल/सरकार को, अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, उचित आश्वासन नहीं दिया गया था। यह शासकीय व्यय पद्धति पर विधानमंडल के नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

प्रकरण को वित्त विभाग को मई 2016 में भेजा गया। नवम्बर 2016 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

---

[5] *(1) ₹ 1.75 लाख (अप्रैल 2012), (2) ₹ 15.00 लाख (अक्टूबर 2013), (3) ₹ 5.00 लाख (जनवरी 2014)*

[6] *(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारत भवन न्यास (ट्रस्ट), भोपाल, (2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, निकाय एवं प्राधिकारण को जारी अनुदान, (3) कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली, बड़वानी, (4) मध्य प्रदेश वनवासी सेवा मंडल, मंडला, (5)परियोजना प्रशासक/सचिव, विशेष पिछड़ी जाति बैगा विकास अभिकरण, डिण्डौरी, (6) राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)*

3.11 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबंद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की समग्र स्थिति

31 मार्च 2016 की स्थिति में खुले रहे व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति का **तालिका 3.7** में विस्तृत विवरण है।

तालिका 3.7: 31 मार्च 2016 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
802	2,704.45	45	2,356.97	61	1,829.50	786*	3,231.92

(स्रोतः वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

**शासकीयः 783, अर्द्धशासकीयः 3, इसमें से ₹ 48.66 करोड़ के 414 व्यक्तिगत जमा खाते एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे*

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किया। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप मे दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने में असफल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

लेखापरीक्षा में पाँच व्यक्तिगत जमा खातों[7] के प्रशासकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2014 एवं मई से अगस्त 2016) की गई थी। जानकारी में आई अभ्युक्तियों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई हैः

प्रशासक द्वारा निधियों को व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खाते में रखना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार बिना तत्काल आवश्यकता के राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः निषिद्ध है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार एक शासकीय सेवक सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर, राज्य के लोक

[7] *(1) जिलाधीश, खरगौन, (2) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल, (3) संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल, (4) वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, कटनी, (5) परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल*

लेखे एवं राज्य की समेकित निधि से आहरित धनराशि को बैंक में जमा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश (अगस्त 2005) दिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए बैंक खातों में रखी गई निधियों को आहरित किया जाकर व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिलाधीश, खरगौन (नवम्बर 2014) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ओंकारेश्वर/महेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित शासकीय/सार्वजनिक/धार्मिक स्थानों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 1.92 करोड़[8] प्राप्त हुए थे जिसे जिलाधीश, खरगौन के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज देने वाले खाते (संख्या 53022455961) में जमा किया गया था जबकि इस राशि को वित्त विभाग (अगस्त 2005) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाना चाहिए था।

आगे जांच में प्रकट हुआ कि जिलाधीश, खरगौन ने बैंक खाते से राशि ₹ 1.22 करोड़ व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 31 (दिसम्बर 2015) जिला कोषालय, खरगौन में अंतरित किए थे एवं ₹ 0.61 करोड़ चैक के माध्यम से हितग्राहियों को जारी किए गए थे। शेष राशि ₹ 9.37 लाख अभी भी बैंक खाते में पड़े हुए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर जिलाधीश, खरगौन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि राशि ₹ 9.37 लाख मंदिर की कृषि भूमि के भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित धनराशि को व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराया जाना चाहिए था न कि बैंक खाते में।

प्रकरण सरकार (फरवरी 2015) को संदर्भित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त (नवम्बर 2016) नहीं हुआ था।

व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए वित्त विभाग के निर्देश का अनुपालन करने में असफलता

वित्त विभाग ने व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 एवं 05 (जैसा कि **तालिका 3.8** में विवरण दिया गया है) को दिनांक 26 मार्च 2016 के पहले बंद करने एवं इन व्यक्तिगत जमा खातों में जमा निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने के निर्देश (मार्च 2016) जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों ने वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण जिन्हे वित्त विभाग के निर्देशानुसार बंद किया जाना था

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक का नाम	व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक	31 मार्च 2016 को शेष
1	संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल	54	3.77
2	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी	05	2.44
योग			**6.21**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

[8] *(1) जिलाधीश (धर्मस्व शाखा), खरगौनः ₹ 61.16 लाख (10/2010), (2) भू–अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौनः ₹ 9.37 लाख (07/2010), (3) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 56.18 लाख (12/2010), (4) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 41.97 लाख (01/2011), (5) भू–अर्जन अधिकारी, महेश्वर हाइडल विद्युत परियोजना, खरगौनः ₹ 23.70 लाख (05/2011)*

- वित्त विभाग के निर्देशों के बावजूद, संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल ने न तो व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 में पड़े हुए राशि ₹ 3.77 करोड़ राज्य की समेकित निधि में अंतरित किए और न ही व्यक्तिगत जमा खाता बंद किया गया था। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए इस व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

  इस ओर इंगित किए जाने पर, संचालक, उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल ने उत्तर दिया कि अव्ययित राशि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित थी जिसका भुगतान किया जाना था। इसलिए व्यक्तिगत जमा खाते को बंद नहीं किया गया था। व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने के लिए अनुमति प्राप्त की जा रही थी।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग ने वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी द्वारा फरवरी 2013 से संचालित व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 05 में कोई भी लेनदेन नहीं किया गया था। प्रशासक की रोकड़ बही के अनुसार, मार्च 2016 तक व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 2.44 करोड़ का अंतिम शेष था, जबकि कोषालय के अनुसार खाते में ₹ 2.98 करोड़ थे। कोषालय एवं प्रशासकों के मध्य ₹ 0.54 करोड़ का अंतर दर्शाता है कि प्रशासक ने कोषालय से आंकडों का मिलान नहीं किया था। साथ ही प्रशासक व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने एवं व्यक्तिगत जमा खाते की निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश (मार्च 2016) के अनुपालन में असफल रहे।

  इस ओर इंगित किए जाने पर वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी ने उत्तर (जून 2016) दिया कि कोषालय से व्यक्तिगत जमा खाते को बंद करने एवं निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करने का अनुरोध (जून 2016) किया गया था।

  तथ्य यह है कि कोषालय से व्यक्तिगत जमा खाता को जून 2016 में बंद करने हेतु अनुरोध किया गया था जबकि वित्त विभाग के अनुदेश के अनुसार इस खाते को 26 मार्च 2016 तक बंद कर दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्रशासक द्वारा कोषालय से आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया था।

असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों में उपलब्ध निधियों को शासकीय खाते में अंतरित करने में असफलता

मार्च 2016 की स्थिति में तीन वर्ष से अधिक से, असंचालित दो व्यक्तिगत जमा खातों की नमूना जांच की गई जिनमें ₹ 12.68 करोड़ शेष था। विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक का नाम	व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक	असंचालन की तिथि	31 मार्च 2016 को शेष
1	परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल	54	मार्च 2010	1.80
2	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	26	अगस्त 2008	10.88
योग				**12.68**

(स्रोतः लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण करते समय, निम्नलिखित अभियुक्तियां पायी गयीः

- ग्रामीण हाट बाजार योजना के अंतर्गत परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल के नाम से व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 54 में राशि ₹ 1.80 करोड़ जमा (मार्च 2010) कराए गए थे, जो कि वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक अव्ययित रहे। चूंकि विभाग ने वित्त विभाग से व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर रखने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी, अव्ययित राशि को शासकीय खाते में अंतरित कर इस व्यक्तिगत जमा खाते को बंद कर देना चाहिए था लेकिन प्रशासक द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

  इस ओर इंगित किए जाने पर परियोजना अधिकारी, सघन फलोद्यान विकास योजना, बैतूल ने उत्तर (मई 2016) दिया कि व्यक्तिगत जमा खाते को निरन्तर बनाए रखने की अनुमति के अभाव में व्यक्तिगत जमा खाते में जमा निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

  विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यक्तिगत जमा खाता पिछले तीन वर्षों से असंचालित था लेकिन न तो खाते को बंद किया गया और न ही राशि को शासकीय खाते में अंतरित किया गया जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था।

- राज्य में स्वास्थ्य भवनों (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के निर्माण के उद्देश्य से आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 26 संचालित (2003) किया जा रहा था। यह देखा गया कि व्यक्तिगत जमा खाते की रोकड़ बही का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया। मार्च 2016 को कोषालय के अभिलेखों के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 26 में दिनांक 05.08.2008 से ₹ 10.88 करोड़ का शेष अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

  इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक ने कोषालय से आंकड़ो के शेष का मिलान नहीं किया था। लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 को ₹ 2.20 करोड़ (कोषालय आंकड़ेः ₹ 10.88 करोड़ एवं रोकड़ बही आंकड़ेः ₹ 8.68 करोड़) का असंगत अंतर था।

  इस ओर इंगित किए जाने पर, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल ने उत्तर (अगस्त 2016) दिया कि कोषालय अधिकारी, भोपाल से इस व्यक्तिगत जमा खाते को बंद करने एवं इसकी राशि शासकीय खाते में अंतरित करने का अनुरोध किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि व्यक्तिगत जमा खाते को अभी तक बंद नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इन प्रकरणों को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2016 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (27612) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

  संगठनों, जिनको अनुदान जारी किए गए थे, द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ, परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

  सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन के प्रकरण

- 30 जून 2016 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 37.19 करोड़ के दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के कुल 3099 प्रकरण लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

  सरकार को दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के प्रकरणों में शीघ्रता से जांच एवं ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

बहुप्रयोजन लघुशीर्ष '800' का संचालन

- लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गईं वृहद् राशियों (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17,669.83 करोड़ एवं राजस्व प्राप्तियों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 11,890.88 करोड़) के वर्गीकरण ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया।

  सरकार को लघुशीर्ष–'800' के सामान्य संचालन को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बना देता है।

बैंक खातों का अनियमित रखरखाव

- छः विभागों में 31 मार्च 2016 की स्थिति में राज्य की समेकित निधि से राशि ₹ 28.25 करोड़ आहरित कर 51 बैंक खातों में रखी गई थी।

  राज्य की समेकित निधि से बाहर कर एवं विभिन्न बैंक खातों में रखी गई राशि को सरकार द्वारा शासकीय खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियां

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के, वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2016 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 3,231.92 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था। वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द करने में असफल होने के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

  विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

(सौरभ के. मल्लिक)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

ग्वालियर
दिनांकः 23 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 24 जनवरी 2017